संख्या -50/2016/1245/एक-6-2015-15(12)/2014

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2016**

विषय: राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा संबंधी परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 418.51 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-258/12-भवन-1/2015, दिनांक 10-11-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद , उ0प्र0 इलाहाबाद कार्यालय के भवन के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणित लागत रू0 837.03 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-1178/एक-6-2015-15(12)/2014, दिनांक 20-10-2015 द्वारा धनराशि रू0 418.52 लाख अवमुक्त की गयी थी। उक्त अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उ0प्र0 राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। अत: उक्त परियोजना हेतु आगणित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 418;51 लाख द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखत शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(3) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनरशि आवश्यकतानुसार आहरित कर राजस्व परिषद द्वारा तुरन्त कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। अन्य व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही दिनांक 31-03-2017 तक आहरित कर व्यय की जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष की दशा में यथा समय शासन को समर्पित की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह भी सनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माणकार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाये।

2- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- राजस्व परिषद, लखनऊ, उ0प्र0 के अपर आयुक्त (लेखा)/लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों में विचलन होने की दशा में शासन के वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग को तत्काल सूचित किया जायगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-17, राजस्व परिषद, इलाहाबाद कार्यालय में विभिन्न कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

मनोज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-1245 (1)/एक-6-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।,
3- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ।
4- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।
7- अपर आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9- निबन्धक, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद का भी दायित्व होगा कि वे निर्माण कार्यों पर पैनी दृष्टि रखे और यह देखे कि निर्माणदायी संस्था द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित मानको का पालन करते हुए प्रस्तावित विशिष्टियों/कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए समयान्तर्गत कार्य किया जा रहा है या नहीं। किसी भी रूप में विचलन की स्थिति होने पर उनके द्वारा उच्चाधिकारियों सहित शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-4
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in